प्रकरण संख्या 21/2019 2019/00047 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. छोटेलाल पुत्र गूजर जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
2. रामस्वरूप पुत्र कुम्हेर जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
3. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–17.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 1–16 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 1–16 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाली दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 724 किस्म बारानी–3 से श्री छोटे पुत्र गूजर जाति मीना निवासी बड़ापुरा के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में जरिये वयनामा रामस्वरूप पुत्र कुम्हेर जाति मीना निवासी बड़ापुरा राहिन पी.एन.बी. शाखा करौली मुर्त0 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 1–16 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाली दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 724 दिनांक 25.10.1977, नामांतरकरण संख्या 978 दिनांक 12.03.1986, नामांतरकरण संख्या 1054, जमाबन्दी सम्वत् 2059–62, 2067–70, 2071–74 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस निराधार गलत ह। आराजी खसरा नं. 813 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा काश्ता भूमि है। प्रत्येक वर्ष उक्त आराजी मे फसल पैदा होती है जिससे प्रार्थी का परिवार अपना व अपने बच्चो का पालन–पोषण करता है। प्रार्थी के पास जीवन यापन करने की अन्य कोई कृषि भूमि नही है। उक्त भूमि से अगर प्रार्थी अन्न पैदा नहीं कर सका तो प्रार्थी के परिवार वालो की भूखें मरने की नोबत उत्पन्न हो जावेगी कृषि के अलावा प्रार्थी को अन्य कोई भी रोजगार नहीं है। रोजगार से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी वृद्ध है। कमाने खाने के रोजगार से वंचित हो जावेगा। आराजी खसरा नं. 813 कभी भी गैरमुमकिन नाले की भूमि नही है। पचासों वर्ष पूर्व से उक्त भूमि काश्ता भूमि रहते है। उक्त भूमि के पचासो वर्षो से अन्न पैदा हो रहा है जिससे प्रार्थी का परिवार फसल काश्त करता चला आ रहा है। कृषि कर अनाज पैदा कर जीवन यापन करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के प्रार्थी आप चारो तरफ से हक बंदी करा रखी है जिसमें लाखों रूपये खर्च भी किये गये एवं प्रार्थी के बुढापें का यह एक मात्र यह ही कृषि भूमि है। उक्त आराजी खसरा नं. 813 जो कि काश्ता भूमि है उक्त भूमि से रेफरेन्स भूमि का कोई संबंध नही है। मौके पर समतल भूमि है। अन्न (फसल) काश्त दे रही है।

जिला कलक्टर
करौली

फसल काश्त होने की नकल गिरदावरी मे भी पचासो सालो से काश्त होने का इन्द्राज प्रत्येक वर्ष दर्ज होता चला आ रहा है। अगर उक्त भूमि नाले की भूमि होगी तो फसल काश्त नही होती फसल काश्त का इन्द्राज गिरदावरी से अंकित नही होता। गिरदावरी इस बात का सबूत है कि प्रत्येक वर्ष फसल होती है। आराजी खसरा नं. 813 को कोई नाला भूमि गैरमुमकिन नाला भूमि से संबंध नही है। उक्त नोटिस गिरदावरी जमाबंदी रिकार्ड के विपरीत थें। मौके पर फसल काश्त हो रही है। मौके विपरी ही जमाबंदी में भी गैरमुमकिन नाला था कोई नोट भी अंकित नही है। इस प्रकार का रिकॉर्ड व मौका के विपरीत नोटिस/रेफरेन्स कार्यवाही की गयी है जो नोटिस खारिज होने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी न. 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 813 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी–3 है नाली नही है। बल्कि बारानी किस्म की जमीन है जोकि वाके ग्राम भांवली में स्थित है। श्रीमान् तहसीलदार मासलपुर द्वारा गलत नोटिस बिना राजस्व रिकार्ड की जाचं किये दिया गया है जो पूर्णतः गलत है। वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा नं. 813 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी–3 है, का वयनामा सबरजिस्ट्रार मासलपुर के यहां दर्ज कराया गया है तथा कब्जा रामस्वरूप उर्फ रामरूप पुत्र कुम्हेर जाति मीना निवासी बडापुरा का करा दिया तभी सन 1982 से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज है। हर साल फसल बोता है। उक्त वयनामा के आधार पर ही उक्त आराजी का पटवार रिकार्ड में अमल हुआ है। वयनामा एवं नामांतरकरण पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इन पर कोई अविश्वास नहीं किया जा सकता। तहसीलदार साहब ने यह रिपोर्ट गलत की है कि आराजी खसरा नं 813 नाली है बल्कि 1 बीघा 16 विस्वा किस्म बारानी है। तहसीलदार मासलपुर का यह कृत्य सरासर गलत है। बिना किसी संवैधानिक अधिकार के इस प्रकार की कार्यवाही एवं नोटिस देने का हक तहसीलदार मासलपुर को नही है तथा उनका यह कृत्य अवैधानिक है। तहसीलदार मासलपुर ने कपोल–कल्पित नोटिस दिया है। प्रार्थी गरीब आदमी है। बडी मुश्किल से लाखों रूपये खर्च कर एवं जिस्मानी मेहनत करके उक्त आराजी को सरसर्वज बनाया है। अन्य किसी का कोई लेना–देना नहीं है। जब तहसीलदार मासलपुर उक्त आराजी को अपने नोटिस में गैरमुमकिन नाला बताते है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी तालाबी है। तथा हस्वकायदा उक्त खसरा नं. 813 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी 3 है, का वयनामा हुआ है तथा वयनामा के आधार पर नामांतरकरण खोला गया है तथा पटवार रिकार्ड में अमल बरामद है। इस विषय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश ही नही है। रेफरेंस करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सारी कार्यवाही गलत है। वयनामा की छायाप्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा पुराने तथ्यों को वैधानिक तरीके से भी नही हटाया जा सकता है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 3 के एडवोकेट द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जिस पर अप्रार्थी न. 3 को समय दिया गया लेकिन 5 माह गुजरने के उपरांत भी वकील अप्रार्थी नं. 3 द्वारा न तो वकालतनामा प्रस्तुत किया ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा ग्राम भावली तहसील मासलपुर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाली दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरण संख्या 724 से किस्म बारानी–3 से श्री छोटे पुत्र गूजर जाति मीना के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान मे यह भूमि रामस्वरूप पुत्र कुम्हेर जाति मीना निवासी बडापुरा राहिन पी.एन.बी. शाखा करौली मुर्त. के नाम दर्ज है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज

जिला कलक्टर
करौली

करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 1 का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं. 813 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भावली की किस्म गैर मुमकिन नाली न होकर बारानी–3 है। इस भूमि पर प्रार्थी हर साल फसल उगाकर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है जो उसके परिवार के पालन–पोषण का एकमात्र जरिया है। यह भूमि पचासों वर्ष से काश्ता रही है जिस पर प्रार्थी या प्रार्थी के पूर्वज खेती करते चले आ रहे है। यहां कोई नाली नही होकर समतल भूमि है। रेफरेन्स की कार्यवाही गलत की गई है जिसे खारिज फरमाने का श्रम करें।

वकील अप्रार्थी नं. 2 का बहस में कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह जमीन जरिये वयनामा क्रय की गई है। जिसे सबरजिस्ट्रार मासलपुर द्वारा पंजीकृत किया गया है तब से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है एवं काश्त करता चला आ रहा है। तहसीलदार मासलपुर द्वारा रेफरेंस की कार्यवाही गलत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 1–16 बीघा गै0 मु0 नाली दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 724 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 813 किस्म बारानी 3 रकबा 1–16 श्री छोटे पुत्र गूजर जाति मीना निवासी बडापुरा के नाम दिनांक 25.10.1977 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 813 किस्म बारानी–3 रकबा 1–16 रामस्वरूप पुत्र कुम्हेर जाति मीना निवासी बडापुरा राहिन पी.एन.बी. शाखा करौली मुर्त. अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नाली दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 813 रकबा 1–16 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली